

Link of
Family Court-1

Link of
Family Court-2

Link of
Labour Court

कुटुम्ब न्यायालय / श्रम न्यायालय हेतु

विशेष ई-लोक अदालत समझौतानामा

लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक..... दिनांक.....

1/ पक्षकारों के नाम :.....
.....
.....
.....

2/ प्रकरण क्रमांक :.....

3/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :.....
.....
.....
.....
.....

3/ यह कि हम पक्षकारगण विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं।
अतः निवेदन है कि उभयपक्ष के बीच इस प्रकरण में आपसी समझौता हो जाने के कारण अब प्रकरण को समाप्त कर दिया जावे।

हस्ताक्षर-अनावेदकगण / उत्तरवादीगण

हस्ताक्षर आवेदक / परिवादी

अधिवक्ता वास्ते-अनावेदक / उत्तरवादी

अधिवक्ता वास्ते-आवेदक / परिवादी

आवेदक का मोबाईल नं0.....

आवेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं0 एवं ई-मेल आईडी

अनावेदक का मोबाईल नं0.....

अनावेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं0 एवं ई-मेल आईडी

स्थान-

दिनांक-

टीप: विशेष ई लोक अदालत में जुडने हेतु लिंक की जानकारी जिला न्यायालय की वेबसाईट से, अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस से अथवा जिले में पदस्थ टेक्निकल स्टॉफ से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में विशेष ई-लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों के पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण का वाट्स-अप ग्रुप बनाकर भी उसमें लिंक की जानकारी प्रेषित की सकती है।